



Office of the Principal Chief Conservator of Forests,
Wildlife & Chief Wildlife Warden, Jharkhand
Van Bhawan, Doranda, Ranchi-834002



Email: pccf-wildlife@gov.in, Phone No. 0651-2481744

Office Order No. 35...

Dated. 04.06.2024

Sanction Order of the Wildlife Management Plan with reference to the diversion of 51.251 ha (42.133 ha Chaibasa Forest Division and 9.118 ha Saranda Forest Division) of forest land in favour of Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd (JUSNL) for construction of 220 KV/DC Transmission Line from Ulijhari – Chaibasa to Gua.

The instant Wildlife Management Plan (referred to as "the Instant Plan" hereinafter) has been prepared by Ecos Offset Private Limited, Bihar with active co-operation from DFO, Chaibasa Forest Division, DFO, Saranda Forest Division and Jharkhand Urja Sancharan Nigam Ltd, Kusai Colony, Doranda, Ranchi (JUSNL). (referred to as "the User Agency" or "JUSNL" hereinafter) in pursuance of the Condition laid under Item no. 7(b) of the "in-principle" (Stage-I) approval order issued by the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India vide its letter no. FP/JH/TRANS/27672/2017/3377 dated 22nd August, 2019 for diversion of 51.251 ha (42.133 ha Chaibasa Forest Division and 9.118 ha Saranda Forest Division) of forest land in favour of JUSNL for construction of 220KV/DC Transmission Line from Ulijhari – Chaibasa to Gua.

The aforesaid condition laid by the Central Government reads as follows:

"7.(b). A project specific Wildlife Management Plan as appropriate in the context of the transmission line passing through the Elephant Reserve, should be formulated and implemented at cost provided by the User Agency."

In the above stated background, the Additional Principal Chief Conservator of Forests, Singhbhum Region, Jamshedpur vide his letter no. 795 dated 08-05-2024 has submitted the Plan to the office of the undersigned for its due sanction.

In order to examine the plan prescriptions a communication was issued to the Additional Principal Chief Conservator of Forests, Singhbhum Region, Jamshedpur vide this office letter no. 478 dated 15.05.2024, to arrange a Power-Point Presentation of the plan on 30.05.2024 in the Office chamber of the undersigned. The presentation was made by the Project Proponent in presence of Additional Principal Chief Conservator of Forests, Singhbhum Region, Jamshedpur, Sri S.R Natesha, CCF, Wildlife, Jharkhand, Ranchi, Sri Satyam Kumar, DFO, Chaibasa, Sri H.S. Gupta, Retired PCCF, Wildlife, Sri Kislay Kumar, Director, Ecos Offset Pvt Ltd and Sri Kuldip Kumar, AEE, TSD, Ulijhari (JUSNL).

The Plan contains six chapters including introduction, Impact of the Project on Environment, Objectives of Management plan & Strategies, Proposed Management Strategies to be carried out by the PP and Forest Department and budget estimate. Wildlife management plan suggests "Mitigation Measures" to the actions that can be implemented to minimize the magnitude of the project related detrimental impacts on ecology in general and forest & wildlife of the project area. The activities/management interventions have been proposed in Chaibasa and Saranda Forest Divisions. The various work components have been assigned to the implementing agencies so as to achieve the maximum efficiency in terms of output and to the best of appreciation of the needs of conservation of forests and wildlife. The summary of the proposed interventions (componentwise) under the Plan with the objective of conservation of forest and wildlife resources as also to mitigate the impacts of the project on forests and wildlife is as follows:

Sl. No.	Work Components	Cost Estimates (Rs. In lakh) – To be implemented by Chaibasa Forest Division (Part-A)	Cost Estimates (Rs. In lakh) – To be implemented by Saranda Forest Division (Part-B)
A	Habitat Improvement & Enhancement for Wildlife		
1	Plantation on forest land/GM land etc (upto 30ha) and its maintenance cost	53.09	-
2	Protection of other categories of forest by digging trench on periphery (upto 40km)	66.40	-
3	Construction of pond/check dams	10	-
4	Riparian area improvement –plantation along with Karo river (2km)	-	37.34
B	Man-Animal Conflict Mitigation Strategies		
1	Anti depredation items like mashal, diesel, firecrackers, chilli powder, etc	5.00	
2	Construction of watch tower at strategic location to ensure 24x7 monitoring of the risk prone stretch along the transmission line.	-	20.00
3	Real Time Monitoring procurement of equipment's, Thermal drone, Thermal Camera mounted on watch tower to monitor Elephant movement along transmission line besides monitoring any forest fire risk arising out of the transmission line in dense forest area.	-	10.00
C	Environmental Awareness/Education and Ecotourism		
1	Creation of nature trails 1 km	14.50	-
	Total	148.99	67.34
	Cost escalation consolidated @ 15%	22.35	10.10
	G. Total	171.34	77.44
	Sum of Part A and Part B	248.78 Lakhs	

The Plan with a total financial outlay of Rs 248.78 lakh (171.34 Lakhs INR in Chaibasa Forest Division and 77.44 Lakhs INR in Saranda Forest Division) for implementation of Wildlife Management Plan (WLMP) extending over a period of 10 years (Year 2024-25 to 2033-34; tentatively), shall be utilized by the State Forest Department through the DFO, Chaibasa and DFO Saranda in accordance with the Plan prescriptions.

Considering the proposals under the plan, sanction is hereby accorded to the instant Plan subject to the following conditions:

- (i) Implementation of the Wildlife Management Plan prepared in respect of the proposed project.
- (ii) That various activities in the project shall be executed under the monitoring and guidance of DFO, Chaibasa and DFO Saranda in their respective jurisdiction and under the supervision of APCCF, Singhbhum Region, Jamshedpur and CF, Territorial Circle Chaibasa.
- (iii) That the User Agency shall ensure that its officials/contractors and the work force engaged into transmission line laying and allied works shall not commit or abet any forest/wildlife offence in their area of operation. They will also promptly report any forest/wildlife offence in the area to the nearest forest office/official. Further, they will extend their full cooperation to the forest officials in control/mitigation of any incident, natural or manmade, detrimental to forest and wildlife in their area of operation.
- (iv) In the cases of management of lands of Protected Areas/forests under transmission lines (condition no 11 of forest clearance Stage-I) will be followed while implementing of the project and with special considerations for protecting elephants from accidental electrocution by keeping height above ground at the lowest point of the lowest conductor or grounding wires (i.e. at maximum sag point) of power lines and also to avoid electrocution to avifauna and other arboreal species.
- (v) The entire length of the proposed power line between Ulijhari - Chaibasa to Gua should be marked with appropriate bird diverters spaced at 10 m intervals. The bird diverters shall be regularly checked and maintained by the User Agency.
- (vi) The user agency and project personnel will comply with the provisions of Standard SOP/Guidelines issued by WII, Dehradun for linear projects.
- (vii) Any felling/pollarding/pruning of trees for allowing electrical clearance/maintenance will be done with the permission of the DFO, Chaibasa and DFO Saranda in their respective jurisdictions. Only those trees that are of sufficient height to compromise the requirements of minimal vertical and horizontal clearance from the conductor wires at maximum sag point should be lopped.
- (viii) That the total amount of Rs. 248.78 lakh (Rupees Two crore forty eight lakhs seventy eight thousand only) shall be deposited by the User Agency into CAMPA account only through <https://parivesh.nic.in> under the relevant head/sub-head which shall be utilized by the State Forest Department through the DFO, Chaibasa and DFO Saranda as delineated under the Plan, strictly in accordance with the prevailing norms under the Jharkhand Forest Department.
- (ix) That the User Agency shall implement the mitigation measures/activities mentioned under the Plan. The implementation shall be done under the directions and strict supervisions of DFO, Chaibasa and DFO Saranda.
- (x) That the DFO, Chaibasa and DFO Saranda shall prepare detailed Annual Plans of Operations (APOs) in the beginning of every financial year during the Plan period, as provided in the instant Plan, following all the rules, regulations, Schedule of Rates etc. issued from time to time by the State Government/ Forest Department. APCCF, Singhbhum Region, Jamshedpur in case of DFO, Chaibasa and DFO Saranda South shall accord sanctions to the said APOs following due process and they will respectively closely monitor the implementation/progress of the activities undertaken by Chaibasa and

Saranda Forest division as per directions issued by the Forest Department from time to time.

- (xi) That the CF, Chaibasa shall supervise all the activities under the Plan undertaken by Chaibasa and Saranda Forest division as per directions issued by the Forest Department from time to time.
- (xii) That the DFO, Chaibasa and DFO Saranda shall carry out the activities under the Plan strictly as per the duly sanctioned APOs.
- (xiii) That the DFO, Chaibasa and DFO Saranda shall ensure that no violation of duly sanctioned Working Plan of Chaibasa and Saranda Forest division takes place during implementation of any of the activities involved in this plan over notified and demarcated forest land.
- (xiv) That the instant Plan is dynamic and shall be revisited after every 2 years and a revised plan may be formulated as per need of the project impacted area and convenience of the implementing agencies. The revised plan, if any, shall be put up before the Principal Chief Conservator of Forests, Wildlife & Chief Wildlife Warden, Jharkhand for its due approval.
- (xv) That the User Agency shall submit an Undertaking to the DFO, Chaibasa and DFO Saranda to the effect that they will deposit extra cost of the plan owing to increase in wage rate, cost of materials etc. in due course of time as well as consequent upon revision of the plan, if any, as and when given effect to by the competent authority.

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forests
Wildlife & Chief Wildlife Warden, Jharkhand

Memo No.

Date

Copy forwarded to Deputy Director General of Forests (Central), Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Integrated Regional Office, Harmu Housing Colony, Ranchi [E-mail: ro.ranchi-mef@gov.in] for information and necessary action.

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forests
Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand

Memo No.

Dated:

Copy forwarded to Principal Secretary, Department of Forests, Environment and Climate Change, Govt. of Jharkhand Ranchi/ Principal Chief Conservator of Forests, Jharkhand, Ranchi/ Principal Chief Conservator of Forests-cum-Executive Director, Wasteland Development Board, Jharkhand, Ranchi for Information.

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forest
Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand

Memo No.

Dated:

Copy forwarded to Additional Principal Chief Conservator of Forests, CAMPA, Jharkhand, Ranchi with a copy of plan for Information and necessary action.

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forests
Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand

Memo No.

Dated:

Copy forwarded to Additional Principal Chief Conservator of Forests, Singhbhum Region, Jamshedpur/ Conservator of Forests, Territorial Circle, Chaibasa/ Divisional Forest Officer, Chaibasa Forest Division and Saranda Forest Division for information and necessary action.

Sd/-

Principal Chief Conservator of Forests
Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand

Memo No. 545

Dated: 04.06.2024

Copy forwarded to Dy. General Manager, Transmission Operation, Transmission Circle, Jamshedpur [E-mail: tcebsa.jseb@gmail.com] for information and necessary action.

[Signature]
04/6/24
Principal Chief Conservator of Forests
Wildlife and Chief Wildlife Warden, Jharkhand
416 816



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- cbsadiv648@gmail.com, dfo-chaibasa@gov.in



पत्रांक : 1007

दिनांक : 13/06/2024

सेवा में,

उप महाप्रबंधक,
(संचरण परिचालन)
संचरण अंचल, चाईबासा।

विषय:- Demand Note निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची के ज्ञापक 545 दिनांक 04.06.2024 तदनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर के ज्ञापक 971 दिनांक 11.06.2024

महाशय,

तपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उलीझारी-गुवा 220 KV/DC Transmission Line निर्माण हेतु पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा वन प्रमण्डल 42.133 हे० एवं सारण्डा वन प्रमण्डल के 9.118 हे० में कुल 51.251 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के प्रदत्त (Stage-I) सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्त सं०- 07(b) की अनुपालनार्थ आपके द्वारा समर्पित Site Specific Wildlife Conservation Plan की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची के कार्यालय आदेश संख्या 36 दिनांक 04.06.2024 द्वारा दी गयी है।

उक्त स्वीकृति आदेश के बिन्दु संख्या- (viii) "That the total amount of Rs. 171.34 Lakhs shall be deposited by the User Agency into CAMPA account only through <https://parivesh.nic.in> under the relevant head/sub-head which shall be utilized by the State Forest Department through the DFO, Chaibasa as delineated under the plan, strictly in accordance with the prevailing norms under the Jharkhand Forest Departments." के आलोक में अनुरोध है कि स्वीकृत राशि 171.34 लाख रुपये को e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से CAMPA मद में जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन तथा लागत राशि में किसी प्रकार की वृद्धि होने पर संशोधित दर से अतिरिक्त राशि जमा करने संबंधी शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अविलंब समर्पित किया जाय ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन भवन, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833201

Ph. 06582-256366, Mob. - 8987790364, E-mail:- sarandadfo@gmail.com, dfo-saranda@gov.in



जय हिन्द
जय मातंगी

पत्रांक: 1341 दिनांक: 12/06/2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड,
चाईबासा।

विषय :- झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उलीझाड़ी-गुवा 220 kv D/C Transmission Line के निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सैद्धान्तिक स्वीकृत में निहित शर्त संख्या- 07(b) के अनुपालन हेतु Site Specific Wildlife Conservation Plan की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश संख्या-36, ज्ञापांक 545 दिनांक 04.06.2024 तदनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 971 दिनांक 11.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छाया प्रति संलग्न) के संदर्भ में कहना है कि झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उलीझाड़ी-गुवा 220 kv D/C Transmission Line के निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के सैद्धान्तिक स्वीकृत (Stage-I) में निहित शर्त संख्या- 07(b) के अनुपालनार्थ आपके द्वारा समर्पित Site Specific wildlife and Bio-diversity Conservation Plan की स्वीकृति प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का कार्यालय आदेश संख्या-36, तदनुसार ज्ञापांक 545 दिनांक 04.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदान की गई है। तदनुसार Site Specific wildlife and Bio-diversity Conservation Plan के Chapter-V में वर्णित कार्य वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के स्तर से कराया जाना है। उक्त Plan के Chapter-V में वर्णित कार्यों के कार्यान्वयन हेतु कुल प्राक्कलित राशि 77.44 लाख (सत्तहतर लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई है।

अतः अनुरोध है कि Site Specific wildlife and Bio-diversity Conservation Plan के Chapter-V में वर्णित कार्य हेतु स्वीकृत कुल प्राक्कलित राशि 77.44 लाख (सत्तहतर लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र कैम्पा लेखा में चालान के माध्यम से Online जमा करने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करते हुए सूचना प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया जाय। साथ ही प्रासंगिक स्वीकृतिदेश के अनुपालनार्थ यदि Site Specific wildlife and Bio-diversity Conservation Plan में मजदूरी तथा सामग्री मद में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि जमा करने संबंधी वचनबद्धता भी अलग से समर्पित किया जाय। यह भी कहना है कि उक्त योजना के प्रथम वर्ष 2024-25 हेतु Chapter-IV में प्रस्तावित सभी कार्यों हेतु Annual Plan of Operation (APO) प्राक्कलन सहित समर्पित किया जाय ताकि वर्णित कार्य के क्रियान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु० :- यथोक्त।

आपका विश्वासी

12/06/2024
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।
8.8 am



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- chnadv648@gmail.com, dfo-chaibasa@gov.in



पत्रांक : 513

दिनांक : 26/03/2025

सेवा में,

वरीय प्रबंधक
संचरण प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय:- एन०पी०वी० एवं पेनल एन०पी०वी० का संशोधित मांग पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- 1. इस कार्यालय का पत्रांक 2137 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 271 दिनांक 17.02.2025
2. आपका पत्रांक 45 दिनांक 06.02.2025 एवं पत्रांक 223 दिनांक 19.03.25

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/TRANS/27672/2017/3377 दिनांक 22.08.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 51.251 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव को प्रदत्त (Stage-I) सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 2137 दिनांक 03.09.2019 तथा इसके अतिरिक्त पत्रांक 271 दिनांक 17.02.2025 द्वारा संशोधित मांग पत्र निर्गत किया गया था।

वर्तमान में आपके पत्रांक 223 दिनांक 19.03.2025 द्वारा दिये गये सूचना के आलोक में Revised Penal NPV की गणना तालिका में पूर्व में जमा राशि कुल 76,281.00 का समायोजन करते हुए पुनरीक्षित मांग पत्र तैयार किया गया है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड के कार्यालय के द्वारा निम्नवत् निदेश दिया गया है- "Further, DFO, concerned should raise demand against NPV & PNPV as per the revised rate of NPV issued vide GoI, MoEF&CC letter no. 5-3/2011-FC (vol-I) dated 06.01.2022 and clarification issued on 22.03.2022. Hence the demand is rejected". अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत संशोधित दर के अनुसार वनभूमि का NPV & PNPV की गणना निम्नवत् की गई है।

Para- 3, a) : Revised NPV calculation

1. Name of Project:- Construction of 220 KV transmission line from Ulijhari-Chaibasa to Gua
2. Diversion of Forest land:- 42.133 ha
3. NPV Calculation:- As per revised rate issued vide GOI, MOEF & CC Letter no. 5-3/2011-FC (Vol-I) date 06.01.2022 and clarification issued on 22.03.2022.

Type of Forest	Density	Revised rate per ha
Eco class-I	0.6	14,36,670

5. NPV (Admissible) = Rs. 14,36,670 X 42.133 ha = Rs. 6,05,31,217.11
6. (-) Already deposited by UA = Rs. 3,95,62,887.00
7. Difference of NPV Amount (Payable at present) = (6,05,31,217.11-3,95,62,887.00)
= Rs. 2,09,68,330.11

Para- 3(b) : Revised Penal NPV Calculation

1. Area of Forest land diversion :- 42.133 ha
(in Chaibasa Forest Division)
2. Area of Forest Land involved in violation :- 0.1766 ha
3. Rate of NPV :- Rs. 14,36,670
4. Date of violation :- 06.12.2017
5. Penal NPV Calculation

If Penal NPV is deposited by 06.12.2025, Then

Time period for Penal NPV Calculation = 8 years

$$\text{Penal NPV} = 20\% \times 14,36,670 \times 0.1766 \times 8 \\ = \text{Rs. } 4,05,945.47$$

Total Amount of Penal NPV

$$\text{(To be deposited by 06.12.2025)} = \text{Rs. } 4,05,945.47 + (4,05,945.47 \times 8 \text{ years} \times 12/100) \\ = \text{Rs. } 4,05,945.47 + 3,89,707.66 \\ = \text{Rs. } 7,95,653.13$$

Already deposited by UA (-) = Rs. 76,281.00

$$\text{Difference of Penal NPV Amount (Payable at present)} = (7,95,653.13 - 76,281.00) \\ = \text{Rs. } 7,19,372.13$$

अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित मांग पत्र की परिगणना की राशि NPV (Revised) 2,09,68,330.11 एवं Penal NPV (Revised) 7,19,372.13 कुल रु० 2,16,87,702.24 मात्र e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) के माध्यम से CAMPA मद में जमा करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई किया जा सके।

आपका विश्वासी

Aditya Narayan
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।
26/3



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन मन्त्र, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833201

Ph. 06582-256366, Mob. - 8987790364, E-mail- sarandedfo@gmail.com, dfo-saranda@gov.in



श्री ६ संशोधन १
श्री ६ संशोधन २

पत्रांक :- MIN-Trans- Uijhara-Gua/27/2019- 451

दिनांक:- 21/02/2025

सेवा में,

अखिला अभियन्ता,
झारखण्ड उर्जा संचारन निगम लिमिटेड, चाईबासा।

विषय :- Diversion of 51.251 ha forest land for construction of 220 kv D/C Uijhara-Chaibasa to Gua Transmission Line in favour of JUSNL in West Singhbhum district Jharkhand.

प्रसंग :- आपका पत्रांक 115 दिनांक 06.02.2025
महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/TRANS/27672/2017/3377 दिनांक 22.08.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 51.251 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव की स्वीकृति सैद्धान्तिक रूप से सशर्त दी गई है।

उक्त स्वीकृतिवादेश की शर्त संख्या- 03(a) के अनुसार इस प्रमण्डल के लिए अपयोजन स्वीकृत क्षेत्र 9.118 हे० का NPV की कुल राशि 85,61,802/- (पचासी लाख एकसठ हजार आठ सौ दो) रुपये मात्र का मांग-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 2524 दिनांक 10.10.2019 द्वारा निर्गत किया था तदनुसार आपके द्वारा समेकित रूप से दिनांक 29.05.2020 को इस प्रमण्डल द्वारा NPV हेतु मांग की गई की कुल राशि 85,61,802/- (पचासी लाख एकसठ हजार आठ सौ दो) रुपये मात्र जमा किया गया था।

वर्तमान में आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा सूचित किया गया कि प्रधान मुख्य वन सहायक-सह-कार्यकारी, वन भूमि विकास बोर्ड के कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि - "Further, DFO, concerned should raise demand against NPV & PNPV as per the revised rate of NPV issued vide Govt. MoEF&CC letter no. S-3/2011-FC (vol-I) dated 06.01.2022 and clarification issued on 22.03.2022. Hence the demand is rejected." उक्त के अनुपालनार्थ संशोधित दर पर NPV की राशि भुगतान करने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

सारण्डा वन प्रमण्डल के लिए अपयोजन स्वीकृत क्षेत्र 9.118 हे० का NPV का नये दर 1436670/- प्रति हे० की दर से कुल संगणित राशि 1,30,99,557/- (एक करोड़ तीस लाख नौ सौ हजार पचास पाँच सौ सन्तान) रुपये मात्र होती है।

अतः सारण्डा वन प्रमण्डल के लिए अपयोजन स्वीकृत क्षेत्र 9.118 हे० का पूर्व जमा की की NPV की राशि को सामंजस्य के पश्चात् अन्तर राशि (13099557 - 8561802) = 45,37,755/- (पैंतालीस लाख सैंतीस हजार सात सौ पचपन) रुपये मात्र बालान के माध्यम से कैंपा लेखा में Online जमा करने की कृपा की जाय। साथ ही शर्त संख्या- 7(c) के अनुपालनार्थ वनरोपण योजना हेतु संशोधित प्राकल्पन के अनुसार कुल राशि 2,25,66,959/- (दो करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ उनसठ) रुपये मात्र कैंपा लेखा में बालान के माध्यम से Online जमा करते हुए उक्त शर्तों का अनुपालन प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया जाय।

सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

आपका विश्वासी,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Received
By
22/03/24



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

E-mail:- chaidibask@gmail.com, dfo-chaidibasa@gmail.in



पत्रांक : 546 दिनांक : 22/03/2024

सेवा में,

उप महाप्रबंधक, (संरक्षण परिवर्तन)
संरक्षण अंचल, चाईबासा।

विषय:-

220 KV D/C उलीझारी-चाईबासा से गुणा तक ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु चाईबासा वन प्रमण्डल अंतर्गत 42.133 हे० एवं सारण्डा वन प्रमण्डल अंतर्गत 9.118 हे० कुल 51.251 हे० वनभूमि अधयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:-

आपका पत्रांक 199 दिनांक 13.03.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के सन्दर्भ में सूचित करना है कि उलीझारी-चाईबासा से गुणा 220 KV D/C ट्रांसमिशन लाईन के लिए कुल 51.251 हे० वनभूमि अधयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/WH/TRAS/27672/2017/3377 दिनांक 22.08.2019 द्वारा 'In-Principle' स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा निर्देश (MoEFCC के Guidelines 8-01/2020-FC dated 10.01.2023, FC-11/43/2021-FC Dated 16.01.2023 एवं File no. FC-11/43/2021-FC dated 07.06.2022 के अलोक में Project Cost कुल लागत राशि 96,32,11,331.82 रुपये का 2% SWLMP एवं 0.5% SMC के लिए राशि की मांग पत्र निर्गत करने हेतु आपके प्रारंभिक पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त के अलोक में निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित कुल रकम 51.251 हे० वनभूमि का Project Cost कुल 96,32,11,331.82 रुपये का SWLMP के लिए 2% 1,92,64,228.64 रुपये तथा SMC के लिए 0.5% 48,16,956.60 रुपये मात्र e-portal (<https://parishesh.nic.in>) के माध्यम से CAMPA मद में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त भविष्य में प्रोजेक्ट की लागत राशि की बढ़ोतरी होने की स्थिति में या सरकार द्वारा Comprehensive Wildlife Management Plan की स्वीकृति के पश्चात् बड़ी हुई अतिरिक्त राशि का भुगतान आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। उक्त राशि को CAMPA मद में जमा करते हुए NEFT/RTGS Challan for CAMPA Funds की छायाप्रति के साथ Levies Proforma में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वारुभाजन

Kula

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा।



कार्यालय :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

वन भवन, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड-833201

Ph. 06582-256366, Mob. - 8987790364, E-mail:- sarandadfo@gmail.com, dfo-saranda@gov.in



जहाँ है हटियाली
वहाँ है खुशाली

पत्रांक :- MIN-Trans- Ulijhari-Gua/27/2019- 178

दिनांक:- 27.01.2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
झारखण्ड उर्जा संचारन निगम लिमिटेड,
चाईबासा।

विषय :- Diversion of 51.251 ha forest land for construction of 220 kv D/C Ulijhari-Chaibasa to Gua Transmission Line in favour of JUSNL in West Singhbhum district Jharkhand.

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 2029 दिनांक 21.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/JH/TRANS/27672/2017/3377 दिनांक 22.08.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत 51.251 हे० वनमूमि अपयोजन प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत्यादेश की शर्त संख्या- 7(c) यथा In both Forest Division ,at selected places (chosen by Forest Division) near to the proposed transmission line, the user agency shall plant tall evergreen trees with 4 years maintenance at their own cost to mitigate the felling of big tree in both FDs. के अनुसार इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा भेजी गई प्राक्कलन के अग्रिम कार्य प्रथम वर्ष हेतु प्रस्तावित कार्यों में टंकण त्रुटिवश मजदूरी दर अंकित नहीं किया गया है। जिसके फलस्वरूप पूर्व में समर्पित प्राक्कलन की कुल राशि 2,06,59,219/- रुपये को संशोधित करते हुए 2,25,65,959/- (दो करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ उनसठ) रुपये मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि शर्त संख्या- 7(c) के अनुपालनार्थ वनरोपण योजना हेतु संशोधित प्राक्कलन के अनुसार कुल राशि 2,25,65,959/- (दो करोड़ पच्चीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ उनसठ) रुपये मात्र कैम्पा लेखा में चालान के माध्यम से Online जमा करते हुए उक्त शर्त का अनुपालन प्रमण्डलीय कार्यालय में समर्पित किया जाय।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

योजना का नाम- 10' पीछे के साथ बाँस गैबियन के साथ वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस गैबियन का आकार-6'6"x2'-6"x2'6"
 2. पंक्ति से पंक्ति की दूरी -3 मी०
 3. मजदूरी दर प्रति मानव दिवस 405.00 रुपये
 4. पीछे से पीछे की दूरी -3 मी०
 5. स्थल का नाम-
 6. कुल गैबियनों की संख्या- 4000

क्र०	कार्य की विवरणी	प्रति इकाई दर				कुल 4000 गैबियन के लिए				अनियुक्ति
		इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मी)	साधनी (रु० मी)	कुल व्यय (रु० मी)	साधनी (रु० मी)	मजदूरी (रु० मी)	कुल व्यय (रु० मी)	
1	2	3	4	5	6	7				8
(A)	प्रथम वर्ष (मजदूरी दर 405.00 रु प्रति दर)									
1	घेराव कार्य									
क	बाँस का बूँटा -> अर्द्ध (बूँटे की लंबाई 6'-6") एवं जाफरी हेतु बाँस (कुल 4 बाँस @ 125.00 रु. प्रति ग्रामीण बाँस) कुलार्ह सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	500.00	500.00	2000000.00	0.00	2000000.00	
ख	जाफरी का निर्माण एवं बूँटो में जाफरी को लगाना	प्रति गैबियन	1.00	405.00	0.00	405.00	1620000.00	0.00	1620000.00	
ग	बूँटो की कालतार / ब्लैक पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.20	81.00	10.00	91.00	324000.00	40000.00	364000.00	
घ	जाफरी की हरे एवं लाल पेन्ट से रंगाई	प्रति गैबियन	0.30	121.50	112.50	234.00	486000.00	450000.00	936000.00	गर्म पेंट में बूँटोकर
ङ	आवश्यकतानुसार समतलीकरण एवं बूँटा लगाने हेतु 1'x1'x1'-6" आकार के 4 गड्ढों को खोदना तथा खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.20	81.00	0.00	81.00	324000.00	0.00	324000.00	रंगाई की जायेगी। गैबियन को एक हरा-एक लाल alternate रूपान्ति किया जायेगा।
च	जाफरी सहित बूँटा लगाना -> बूँटा -20 बूँटा प्रति मानव दिवस (कुलार्ह सहित)	प्रति गैबियन	0.20	81.00	18.75	99.75	324000.00	75000.00	399000.00	
छ	जाफरी हेतु	प्रति गैबियन		0.00		0.00		0.00	0.00	
	(1) तार 100 ग्राम (83/- रु प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	8.30	8.30	33200.00	0.00	33200.00	
	(2) काटी 300 ग्राम (83/- रु प्रति किलोग्राम)		0.00	0.00	24.90	24.90	99600.00	0.00	99600.00	
2	मृदा कार्य : पीछा लगाने हेतु आकार 2'x2' का गड्ढा बनाना एवं खोदी गई मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना	प्रति गैबियन	0.17	68.85	0.00	68.85	275400.00	0.00	275400.00	
3	लेबर सेस 1%	प्रति गैबियन		0.00	8.38	8.38	33534.00	0.00	33534.00	
	योग		2.07	838.35	682.83	1521.18	3353400.00	2731334.00	6084734.00	
(B)	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष - मजदूरी दर 15% वृद्धि के साथ - 486.75 रु प्रति दर)									
1	पीछों का मूल्या, मृदा पीछों के प्रतिस्थापन हेतु 20 प्रतिशत अतिरिक्त पीछों के प्रकथान के साथ स्थल पर कुलार्ह एवं सपोर्ट सहित	प्रति गैबियन	0.00	0.00	210.00	210.00	840000.00	0.00	840000.00	10 सौट ऊँचाई के काष्ठ, कलदार एवं शोभाकर प्रजाति के Evergreen पीछे लगाए जायेंगे
2	गड्ढों में डालने हेतु बालू एवं वर्मी कम्पोस्ट का क्रय एवं मिश्रण बनाना (बालू, वर्मी कम्पोस्ट मिट्टी के साथ)	प्रति गैबियन	0.20	93.15	50.00	143.15	372600.00	200000.00	572600.00	
3	पीछारोपण (DAP -50 ग्राम तथा कीटनाशक 4 ग्राम)	प्रति गैबियन	0.20	93.15	19.50	112.65	372600.00	78000.00	450600.00	

4	ग्राम कीटनाशक, दितिय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, वृत्तीय: 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक) फसों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगार से। मूल पैयों का बदलाव	प्रति मैथियन	0.20	93.15	45.00	138.15	372600.00	180000.00	552600.00	
5	पटवन (रिक्का/ ठेला द्वारा)	प्रति मैथियन	1.00	465.75	62.60	528.35	1863000.00	250400.00	2113400.00	
6	सुरक्षा	प्रति मैथियन	0.50	232.88	0.00	232.88	931500.00		931500.00	
7	साईन - बोर्ड एवं मैथियन नवरींग	प्रति मैथियन	0.00	0.00	25.00	25.00	100000.00		100000.00	
8	लेबर सेस 1%	प्रति मैथियन	0.00	0.00	9.78	9.78	39123.00		39123.00	
	योग		2.10	978.08	421.88	1399.96	3912300.00	1687523.00	5599823.00	
(C)	संयोजन कार्य (वृत्तीय सर्व मजदूरी दर 15% वृद्धि के साथ - 835.81 रु प्रति दर)									
1	तीनों कोडनी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, दितिय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, वृत्तीय: 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक) फसों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगार से। मूल पैयों का बदलाव	प्रति मैथियन	0.20	107.12	45.00	152.12	428488.00	180000.00	608488.00	
2	पटवन (रिक्का/ ठेला द्वारा)	प्रति मैथियन	1.00	535.61	14.00	549.61	2142440.00	56000.00	2198440.00	
3	बीस मैथियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति मैथियन	0.50	267.81	75.00	342.81	1071220.00	300000.00	1371220.00	
4	लेबर सेस 1%	प्रति मैथियन	0.00	0.00	9.11	9.11	36421.48		36421.48	
	योग		1.70	910.54	143.11	1053.64	3642148.00	572421.48	4214569.48	
(D)	संयोजन कार्य (वृत्तीय सर्व मजदूरी दर 15% वृद्धि के साथ - 815.96 रु प्रति दर)									
1	तीनों कोडनी निकोनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, दितिय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक, वृत्तीय: 5ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक) फसों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगार से। मूल पैयों का बदलाव	प्रति मैथियन	0.20	123.19	45.00	168.1900	492760.00	180000.00	672760.00	
2	पटवन (रिक्का/ ठेला द्वारा)	प्रति मैथियन	1.00	615.95	14.00	629.95	2463800.00	56000.00	2519800.00	
3	बीस मैथियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति मैथियन	0.50	307.98	75.00	382.98	1231900.00	300000.00	1531900.00	
4	लेबर सेस 1%	प्रति मैथियन	0.00	0.00	10.47	10.47	41884.60		41884.60	
	योग		1.70	1047.12	144.47	1191.59	4188460.00	577884.60	4766344.60	
	कुल योग (labour cess छोड़कर)		7.57	3774.08	1392.29	5166.37	15096308.00	5569163.08	20665471.08	
	प्रशासनिक खर्च आकस्मिकता खर्च, निगरानी एवं मृत्युकांन खर्च 10%		7.57	3774.08	1354.55	5128.63	15096308.00	5418200.00	20514508.00	
			0.00	0.00	0.00	512.86	0.00	0.00	2051450.80	(labour cess छोड़कर)
	सकल योग:-		7.57	3774.08	1354.55	5641.49	15096308.00	5418200.00	22565958.80	

नोट -
 1) उपर प्रदान मुख्य एवं सहायक, विकास, आरक्षण, रौकी का पत्रांक 25 दिनांक- 14.09.2023 के अनुसार क्षतिपूर्क वनरोपण योजना का प्राक्कसन तैयार किया गया है।
 2) भविष्य में मजदूरी एवं सामग्री में वृद्धि होने पर संशोधित पशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा देय होगा।

मुख्य अधिकारी गुवा
 गुवा प्रखंड विकास क्षेत्र, गुवा

मुख्य अधिकारी
 प्रखंड विकास क्षेत्र, गुवा